

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 29.09.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जुग्गीलाल पुत्र स्व० फागू नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 272/21, 02. सुखीराम पुत्र स्व० फागू नि० भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 273/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामकरन पुत्र बाबू गूजर नि० छोटकी गौरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 338/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती विमला देवी पत्नी राजकुमार नि० गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 332/21, 02. श्रीमती बिट्टा देवी पत्नी चिंताराम नि० गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 333/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रवण कुमार पुत्र सहदेव नि० सोनबरसा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 237/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सुशीला पत्नी नीवर नि० जमुनहा गैलनग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 300/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बबलू श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र नि० पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 327/21, धारा60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृष्ण कुमार पुत्र रामजियावन नि० टेगनहवा केशनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 143/21, 02. राजेश कुमार प्रजापति पुत्र राम औतार नि० सबना थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 144/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुधीर सिंह पुत्र पारस सिंह नि० धरकनपुरवा छावनी सरकार थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 762/21, 02. दयाशंकर पुत्र स्व० बुद्धू नि० ऊंचे झंझरी थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 765/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2021

थाना कौड़िया द्वारा अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अकरम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अकरम पुत्र ननकऊ उर्फ छोटेलाल नि0 जैपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 195/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूसा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ0नि0 राकेश सिंह मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2021

थाना छपिया द्वारा छेड़छाड़ करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त- विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विजय यादव पुत्र तिरमोहन यादव नि० गोली धुसवा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 269/21, धारा 354(क), 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2021

थाना कटराबाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट का खुलासा, अन्तर्जनपदीय लुटेरा गिरफ्तार, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ₹0 43,800/- व अवैध तमंचा बरामद-

दिनांक 27.09.2021 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत एक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा रुपयो से भरा बैग छीनने की घटना घटित हुई थी। घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार, एसओजी/सर्विलांस व फारेसिक एवं डॉग स्कवॉड टीम को मौके पर भेजा था तथा स्वयं भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी करनैलगंज के नेतृत्व में चार टीमों लगाई गई थी तथा एसओजी/सर्विलांस टीम को भी घटना के शीघ्र अनावरण हेतु लगाया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक कटराबाजार मय पुलिस बल व एसओजी/सर्विलांस टीम के अथक प्रयास से लूट की घटना में प्रकाश में आये अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 27.09.2021 को ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से हुई लूट की घटना से संबंधित अभियुक्त मोटरसाइकिल से कौड़िया की तरफ से कटरा बाजार आ रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा घेराबंदी कर चरेरा जगतापुर मोड़ के पास से अभियुक्त रघुनन्दन बरवार पुत्र सीताराम नि0 छजबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 अदद जिंदा कारतूस, लूट के रुपये 43,800/- व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने दो अन्य साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था। उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अन्तर्जनपदीय लुटेरा है। जिसके ऊपर जनपद गोण्डा के अतिरिक्त जनपद प्रतापगढ़, बनारस, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर इत्यादि में लूट, चोरी, नकबजनी, जानलेवा हमला व मादक पदार्थों की तस्करी जैसे करीब डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रघुनन्दन बरवार पुत्र सीताराम नि0 छजबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 326/21, धारा 392,411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 328/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 43,800/- रुपया नगद बरामद ।
02. 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिंदा कारतूस।
03. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ।

अभियुक्त रघुनन्दन बरवार का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0स0- 160/2000, धारा 379,411 भादवि थाना को0 पट्टी जनपद प्रतापगढ ।
02. मु0अ0स0- 476/2004, धारा 379 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
03. मु0अ0स0- 256/05, धारा 379 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
04. मु0अ0स0- 523/05, धारा 379 भादवि थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
05. मु0अ0स0- 743/05, धारा 147,307,401 भादवि को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
06. मु0अ0स0- 744/05, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
07. मु0अ0स0- 24/06, धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ ।
08. मु0अ0स0- 152/07, धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
09. मु0अ0स0- 149/08, धारा 504,506,427 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
10. मु0अ0स0- 63/09, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
11. मु0अ0स0- 634/09, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
12. मु0अ0स0- 241/10, धारा 147,148,353, भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0स0- 256/10, धारा 3(10) गैगस्टर एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।
14. मु0अ0स0- 53/13, धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद फैजाबाद ।
15. मु0अ0स0- 602/17, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0नगर जनपद सुल्तानपुर ।
16. मु0अ0स0- 1200/17, धारा 392 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर ।
17. मु0अ0स0- 1247/17, धारा 392 भादवि थाना जलालपुर जनपद जौनपुर ।
18. मु0अ0स0- 1192/17, धारा 401,411,412 भादवि थाना जलालपुर जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्र0नि0 कटराबाजार सतानन्द पाण्डेय मय टीम ।
02. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2021

800 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 29.09.2021 को थाना परसपुर के उ०नि० योगेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त- सुदामा को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान उक्त अभियुक्त के कब्जे से 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुदामा पुत्र रामजनम नि० रक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 275/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 800 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० योगेश कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 29.09.2021

थाना खोड़ारे ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोड़ारे पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मुस्ताक अहमद शाह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुस्ताक अहमद शाह पुत्र मुस्तकीम शाह नि0 मोहम्मदपुर उकड़हवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 145/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. उ0नि0 साहेब कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 29.09.2021

थाना करनैलगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अकबर खां को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अकबर खां पुत्र झगरू खां नि० खालेखपरहा मौजा जयसिंहपुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 453/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. उ०नि० मो० आलम मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.09.2021

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता श्रीमती बिन्दू को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्ता ने वादी रामबाबू पुत्र रामअजोर नि० भरतीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा की बहन को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्ता को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. श्रीमती बिन्दू पत्नी पतिराम उर्फ भुरदुल नि० मड़हवा मौजा ललकपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 294/21, धारा 498ए,304बी,504,302 भादवि० व 3/4 डी०पी०एक्ट एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० सत्येन्द्र वर्मा मय टीमा।